भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **852**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024/4 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

पीएम-प्रणाम

852. डॉ. जयंत कुमार राय:
श्री बसवराज बोम्मई:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री लुम्बा राम:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री अरविंद धर्मापुरी:
डॉ. निशिकान्त दुबे:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री विजय बघेल:
श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:
श्री बस्तीपति नागराजू:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह:
श्री विजय कुमार दूबे:
डॉ. संजय जायसवाल:
श्री विष्णु दयाल राम:
श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल:
श्री गणेश सिंह:
श्री बिप्लब कुमार देब:
श्री परषोत्तमभाई रुपाला:
श्री मनोज तिवारी:
श्री पी. सी. मोहन:
श्री जनार्दन मिश्रा:
श्री धर्मबीर सिंह:
श्री नव चरण माझी:
श्रीमती कृति देवी देबबर्मन:
श्री मुकेश राजपूत:
श्री दिलीप शइकीया:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम-प्रणाम (धरती माता के पुनरुद्धार, जागरुकता, उत्पादन, पोषण और सुधार के लिए कार्यक्रम) योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना के उद्देश्य मिट्टी को बचाना और उर्वरकों के सतत, संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है और इसमें त्रिपुरा और महाराष्ट्र सहित देश भर के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की भागीदारी शामिल है;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है और इसके लिए अब तक राज्य-वार विशेष रूप से त्रिपुरा राज्य में कितनी धनराशि स्वीकृत/खर्च की गई है;

(घ) क्या उक्त योजना से देश में रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने और किसानों द्वारा गाय के गोबर के उपयोग के साथ-साथ जैविक खेती को प्रोत्साहित करने में मदद मिलने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) योजना के तहत निर्धारित वैकल्पिक उर्वरकों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने "धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधान मंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)" को दिनांक 28 जून, 2023 को मंजूरी दी है।

(ख): इस पहल का उद्देश्य उर्वरकों के सतत और संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने, जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने आदि के द्वारा धरती माता के स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू किए गए प्रयासों को सम्पूरित करना है। त्रिपुरा और महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीएम-प्रणाम के तहत शामिल किया गया है।

(ग): उक्त स्कीम के अनुसार, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में किसी विशेष वित्तीय वर्ष में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की खपत में कमी करके बचाई गई उर्वरक सब्सिडी का 50% हिस्सा अनुदान के रूप में उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कुल अनुदान का 95% राज्य द्वारा और 5% भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जाएगा। राज्यों के 95% हिस्से में से 65% का उपयोग पूंजीगत व्यय परियोजनाओं, अधिमानतः केंद्र प्रायोजित कैपेक्स से संबंधित स्कीमों जैसे जल जीवन मिशन, पीएम कृषि सिंचाई योजना, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रा आदि में राज्य सरकारों के हिस्से के रूप में किया जाएगा। शेष अनियोजित निधि (30%) का उपयोग सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों सहित राज्य की आवश्यकता के अनुसार किसी भी गतिविधि के लिए किया जा सकता है।

(घ) और (ड.): पीएम-प्रणाम स्कीम के उद्देश्य के अनुसार, इससे रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने और देश में किसानों द्वारा गोबर के उपयोग के साथ-साथ ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहित करने में मदद मिलने की संभावना है।

*****